

कार्यालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला

क्रमांक :- 2026/10

दिनांक :- 28/01/2026

:: कार्यालय आदेश ::

मैं करुणा शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माह फरवरी-मार्च, 2026 में आने वाले (सारणी के कॉलम संख्या 03 में वर्णित) राजकीय अवकाशों में जोधपुर जिला मुख्यालय, ओसियां, बिलाड़ा, बालेसर, पीपाड़ शहर, भोपालगढ़ न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न होने वाले आवश्यक आपराधिक प्रकरणों यथा रिमाण्ड, जमानत, मृत्युकालीन कथन, मृत्यु समीक्षा एवं अन्य आवश्यक कार्य तथा प्रोटोकॉल आदि के लिए निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय अवकाश की तिथि को एवं नियत तिथि के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को कार्यालय समय पश्चात् से पश्चात्पूर्व कार्य दिवस को कार्यालय समय पूर्व तक अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर और यदि किसी कारण से नियत तिथि से पूर्ववर्ती या पश्चात्पूर्व कार्य दिवस का अवकाश घोषित होता है तो संबंधित अधिकारी को ही अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहकर उपरोक्तानुसार कार्य संपादित करने के लिए अधिकृत करती हूँ :-

(जोधपुर जिला, बालेसर, बिलाड़ा, पीपाड़ शहर, ओसियां व भोपालगढ़ न्यायालयों हेतु)

क्र.स.	अधिकृत न्यायिक अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी की दिनांक
1.	श्री रेणु कुमार मीणा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपालगढ़	01/02/2026 08/02/2026
2.	श्री आदित्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला	14/02/2026 15/02/2026
3.	श्री शैलेन्द्र राज गोस्वामी, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ओसियां	22/02/2026
4.	श्रीमती वैदेही सिंह चौहान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बालेसर	28/02/2026
5.	श्री इन्साफ खान, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीपाड़ शहर	01/03/2026 02/03/2026 03/03/2026

साथ ही, यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई पीठासीन अधिकारी, जिन्हें उक्त अवकाश के दिन उक्तानुसार आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं किया गया है, किन्तु वह अपने मुख्यालय पर (उपार्जित/अर्द्धवैतनिक/रूपान्तरित अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध है, तो उनके द्वारा उस मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों के उक्तानुसार ही आवश्यक प्रकृति के कार्य निष्पादित किये जावेंगे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि लैंगिक अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए अभिकथित आरोपी/आरोपीगण के रिमाण्ड बाबत उक्त अधिकृत पीठासीन अधिकारी विधि अनुसार आदेश पारित करेंगे। साथ ही एन.डी.पी.एस. प्रकरणों के रिमाण्ड के संबंध में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला के आदेश क्रमांक स्था./2022/1090-1104 दिनांक 12.04.2022 के अनुसार आदेश पारित करेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर जिला

क्रमांक : 89

दिनांक : 28/01/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1 श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला।
- 2 श्रीमान् विशिष्ट न्यायाधीश महोदय, पोक्सो न्यायालय, जोधपुर जिला।

- 3 श्रीमान् अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, जोधपुर जिला / बिलाड़ा / बालेसर।
- 4 श्रीयुत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलाड़ा / पीपाड़ शहर / बालेसर / ओसियां।
- 5 श्रीयुत न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर जिला / बालेसर / पीपाड़ शहर / भोपालगढ़ / बिलाड़ा।
- 6 श्रीयुत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, ओसियां।
- 7 श्रीयुत जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण को प्रेषित कर लेख है कि सभी थानाधिकारियों को सूचित करावें।
- 8 जिला आबकारी अधिकारी, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीन कार्यरत वृत्त निरीक्षक / प्रहराधिकारी / भारसाधक अधिकारी, आबकारी थाना को सूचित करावें।
- 9 उप निदेशक, अभियोजन, जोधपुर।
- ✓ 10 सिस्टम अधिकारी, कम्प्यूटर सेल, जिला न्यायालय, जोधपुर जिला को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को जिला न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करे।
- 11 कार्यालय प्रति।


 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
 जोधपुर जिला 28/01/26